ISSN No. - 2229-7866

Incredible Discovery

Research Journal

(A Quarterly Referred Journal)

Vol.-07
No.06
Dec., Feb., 2012

CONTENTS

Incredible Discovery Research Journal

SL. No.	ARTICLES	AUTHORS	PAGE No.
1.	"Skin-Care Managament During Ageing"	Shahla Khanam	1-2
2.	Regionalism (A sociological Study)	Dr. Beebha Sinha	3-6
3.	Caste, Class And Power	Dr. Meera Kumari	7-10
4.	Oppositional Defiant Disorder: Diagnosis And Treatment	Shri Yogendra Prasad Singh	11-13
5.	Cross Cultural Adaptation of Psychological Assessment Instrument: Rationale & Procedure	Smt. Anubha Sinha	14-14
6.	Overview of International Relations And Policy of Post Independence India (1950-1977)	Dr. Sunil Kumar Singh	18-19
7.	1. Land Use In Flood Prome Area-A Case Study of Bahadurpur Block 2. Statgement of The Research Problem:	Dr. Ashok Kumar	20-23
8.	Rural Violence In South Bihar	Dr. Kumari Sangeeta Sinha	24-27
9.	Gandhi Women And The National Movement (1920-1947)	Dr. Sister Matilda Pereira A.C.	28-31
10.	An Anlytical Study of Numerical Integration For Definite Integrals	Shri Jai Shankar Singh	32-37
11.	भारत में ई-पंचायत का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव	सुनील कुमार राव	38-41
12.	भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार	मनीता कुमारी यादव	42-44
13.	मोतीलाल नेहरू और स्वराज दल: एक अध्ययन	अर्चना कुमारी	45-49
14.	भारतीय संघ में केन्द्र तथा राज्यों के बीच प्रशासकीय सम्बन्ध विशेष कर विधि-व्यवस्था में	डा॰ दिनेश कुमार	50-51
15.	संथाल जनजाति का सामाजिक जीवन: निरंतरता एवं बदलाव ऐतिहासिक अध्ययन	डॉ॰ प्रवीण कुमार सिंह	52-56
16.	बाल अपराध का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	अलका कुमारी	57-59
17.	पूना पैक्ट और डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर एक ऐतिहासिक विश्लेषण	विभूति कुमार	60-63
18.	राजनैतिक समाजीकरण के अभिकरण	डॉ॰ प्रमोद कुमार	64-66
19.	नारी शिक्षा की समस्याएँ	डॉ॰ विनय पासवान	67-68
20.	सल्तनत काल में दासों की स्थिति	महमूद आलम	69-71
21.	कृषि श्रमिकों के प्रकार एवं समस्याएँ: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	डॉ॰ श्रीकृष्ण भगत	72-73
22.	हिन्दु विवाह: एक धार्मिक संस्कार	डॉ॰ संयुक्ता कुमारी	74-76
23.	"महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति"	डा॰ कुमारी मन्नु सिन्हा	77-78
24.	मतदान आचरण या व्यवहार (एक राजनीतिशास्त्रीय अध्ययन)	डा॰ गनौरी पासवान	79-81
25.	संयुक्त परिवार में आधुनिक परिवर्तन (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)	मनोज कुमार पाठक	82-85
26.	विशाखादत्त की चन्द्रगुप्त विषयक अवधारणा	डॉ॰ शिव शंकर प्रसाद	86-87
27.	प्राचीन भारतीय मुद्रायें: एक अध्ययन	डॉ॰ अजय कुमार सिंह	88-92

भारतीय संघ में केन्द्र तथा राज्यों के बीच प्रशासकीय सम्बन्ध विशेष कर विधि-व्यवस्था में

*डा॰ दिनेश कुमार

भारत का संविधान संघीय व्यवस्था की स्थापना करता है उसके वैविधायुक्त विशाल क्षेत्र बहुभाषिता, सांस्कृतियों तथा आर्थिक क्षेत्र के स्वरूप को देखते हुए संघीय व्यवस्था की स्थापना उचित ही है। परन्तु भारत ने संघीय व्यवस्था का विकास ब्रिटिश शासन काल में एकात्मक विकेन्द्रित प्रान्तीय शासन से हुआ है। अलग-अलग सर्वभौम राज्य नहीं था जैसे यू.एस.ए., कनाडा, स्वीटजरलैण्ड आदि संघों में सार्वभौम स्वतंत्र राज्य एकीकृत होकर संघ की स्थापना किये थे, अर्थात भारत के संविधान में विकास के लिए संघ शब्द से शुरू हुआ और इसका प्रभाव केन्द्र तथा राज्यों के संबंध में स्पष्ट झलकता है, ब्रिटिश शासन काल में प्रान्तीय सरकारों को स्वायतता भी नहीं था वे केन्द्रीय एकीकृत शासन व्यवस्था के एक अंग मात्र थे। भारतीय अधिनियम 1935 के माध्यम से संघीय शासन स्थापित करने का प्रयास किया गया और प्रान्तीय सरकारों का स्वायतता प्रदान किया गया भारतीय संविधान जो जनवरी 1950 में क्रियान्वयन किया गया, इसमें भारतीय अधिनियम 1935 का अधिक से अधिक अनुशासन किया गया है। अतः भारतीय संविधान को संघात्मक होते हुए भी एकात्मक बतलाया जाता है जिसका प्रभाव अन्य सम्बन्धों पर प्रशासकीय सम्बंधों के साथ विधि व्यवस्था पर भी पड़ा है जिससे केन्द्र तथा राज्य के प्रशासकीय सम्बंध बना रहे।

भारतीय संघ की व्यवस्था इसी आधार पर की गई है, जिससे केन्द्रीय सत्ता शक्तिशाली रहे और राज्य सरकारें उसके आदेशानुसार काम करें, जिससे भारतीय एकता तथा अखण्डता बनी रहे। 1967 तक केन्द्र तथा सभी राज्यों में केवल केरल को छोड़कर कांग्रेस दल की सरकार थी, और राजनीति में कांग्रेस वर्चस्व था। पर 1967 के आम चुनाव के बाद इसका वर्चस्व कमजोर पड़ गया और राज्य में अन्य दलों की सरकारें बनी, तब केन्द्र और राज्यों के बीच टकराव की स्थिति बनी, जो टकराव स्वाभाविक था। राज्य अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गये और अधि स्वायतता की मांग करने लगे, विशेष कर धन के बंटवारे सम्बन्ध में। जिसका केन्द्र तथा राज्यों के आपसी सम्बन्ध पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि धन के अभाव में राज्य सामाजि आर्थिक एवं कल्याणकारी कार्य अपनी इच्छानुसार नहीं क सकते थे, क्योंकि राज्य सरकारें धन पर ही सामाजि कल्याणकारी नीति अपना कर कार्य कर सकते है।

किसी भी राज्य का विकास निम्नलिखित सुध तथा सुझाव के द्वारा किया जा सकता है जो इस प्रकार है

(i) पुलिस बल के नेतृत्व में सुधार, जिससे अपनी चमड़ी बचाने में नहीं रहें बल्कि मातहतों के बीच उचि नेतृत्व प्रदान कर उनके मनोबल को बढ़ाये।

(ii) विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वा नागरिकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्यवाही हो जिस राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो।

(iii) समुचित जाँच पड़ताल कर, शीघ्र मुकद्म कर, न्याय दिलाने की व्यवस्था हो।

(iv) राजनीतिक दलों की संख्या कम कर उन सदस्यों की अपराधिक गतिविधियों को रोकना।

(v) अनावश्यक कानून बनाकर पुलिस भ्रष्टाचार बढ़ाते है जैसे-बालश्रम कानून, सार्वजनिक धूम्रपान, विशेष इस पर रोक लगाना।

(vi) सी.आई.एफ. का अपना नियम कानू होता है। राज्य के अधिकारी विधि व्यवस्था में व्यवहार करते है, उनको आदेश नहीं दे सकते, इसका कोई रास्त निकालना चाहिए।

(vii) आतंकवाद की समस्या दिन व दिन बढ़ जा रही है। इससे निबटने के लिए केन्द्र-राज्य दोनों में सहयोग होना चाहिए, विशेष कर सीमान्त राज्यों में जैसे- असम, नागालैण्ड आदि। इनको सीमा पार से अस्त्र-शस्

*M.A, LL.B, Ph.D, (Pol. Sc.) P.U.

तथा प्रोत्साहन मिलते है। इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए।

(viii) सिर्फ पुलिस बल के सुधार से विधि-व्यवस्था नहीं सुधर सकती है साथ ही साथ राजनीतिज्ञों में भी सुधार आवश्यक है जैसे संसदीय प्रणाली में सांसद विधायकों को छूट मिलता है, इसको कम करना चाहिए।

(ix) अपराधी व्यक्तियों को दोनों सदन की सदस्यता से दूर रखा जाय। संविधान में जो प्रावधान है कि 2 वर्ष जेल काट कर आया व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, जब अपराधिक सिद्ध नहीं होता, वह निर्दोष है, इन दोनों प्रावधानों को रद्द कर देना चाहिए। क्योंकि इसका लाभ उठाकर अपराधी तारीख पर तारीख बढ़वा कर पद पर बने रहते है। राजनीति दलों को भी सहयोग करना चाहिए जिससे अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति सांसद या विधायक न बने।

(x) प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित रहता है, उससे अधिक खर्च किया जाता है, इस पर भी रोक लगाना चाहिए। काले धन का उपयोग नहीं होना चाहिए।

(xi) पुलिस बल और राजनीतिक सुधार से कुछ लाभ होगा, पर साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में भी सुधार होना चाहिए जैसे– जमानत देना, तारीख बढ़ाना आदि पर पाबन्दी लगना चाहिए आदि।

किसी भी देश के विकास तथा प्रगति के लिए विधि व्यवस्था दुरुस्त रहना चाहिए ताकि पूर्ण शांति वातावरण में बना रहे, जो उसके लिए अति आवश्यक है। संघीय व्यवस्था में केन्द्र एवं राज्यों में अधिकार का विभाजन होता है विधि व्यवस्था बनाए रखने में दोनों का उत्तरदायित्व बनता है। भारतीय संघ में केन्द्र और राज्यों के बीच प्रशासकीय सम्बन्धों को लेकर काफी विवाद उठा है विशेषकर 1967 के निर्वाचन के बाद कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, यह विवाद विशेषकर राज्यपाल की भूमिका को लेकर उठी, यह विवाद हमारे संविधान की कमियों को दर्शाता है, इसके साथ आपातकाल, योजना आयोग, केन्द्रीय निर्देश आदि भी विवाद का विषय बना हुआ है।

REFERENCE BOOKS

(i) **Books of**

1. Text the Indians - Constitution
2. Ashoka Chada - Indian Administration
3. D.N. Banerji- Some Aspects of Indian Constitution
4. M.V. Paylee - Indian constitution Analysed
5. Sir Luor Denmly - Cabinet Government
6. B.N. Rau -Indian constitution in the making
7. Allen gladen - The Republic of India
8. S. Chandrasekhar (ed) - Indian Constitution in the making
9. Mrs. Zenab Banu - Decline of Fall of Indian Politics
10. M. Wadhwani & R.K. Tiwari - Indian Administration changing scenario
11. I.S. Phadia - भारतीय संविधान
12. Dr. S.K. Singh - Indian Constitution

(ii) **Reports**

1. Report of the Administrative Reform Commission
2. Justice Sarkaria Commission Report
3. Police Commission Report

(iii) **Journals**

i. Journal of Indian Institute of Public Administration
ii. Journal of Indian Political Sc. Associations
iii. Economic of Political Associations
iv. Journal of the National Academy of Administrations
v. Journal of constitutional and Parliamentary Study
vi. Yojna

*****